

58

संख्या-6/सा0सु0(बी0एल0)-305/2009श्र0नि0- 537

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
(सामाजिक सुरक्षा)

प्रेषक,

सैयद अब्दुल राजिक,
निदेशक,
सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

उपायुक्त,
गोड्डा।

राँची, दिनांक- 21.12.09


विषय :- विमुक्त बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-375 दिनांक 16.12.2009 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त पत्र द्वारा बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु उपलब्ध करायी गयी सूची से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उक्त मजदूरों को किसी अन्य राज्य के नियोजक के यहाँ से विमुक्त कराया गया है अथवा जिला के किसी नियोजक से ? इस संबंध में कृपया स्पष्ट किया जाय एवं विमुक्ति प्रमाण-पत्र भी संलग्न की जाय।


अतः अनुरोध है कि उल्लिखित विमुक्त बंधुआ मजदूरों के विमुक्ति के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए विमुक्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि पुनर्वास हेतु राशि विमुक्त की जा सके।

विश्वासभाजन


(सैयद अब्दुल राजिक)
निदेशक, सामाजिक सुरक्षा,
झारखण्ड, राँची।

संख्या-6/सा0सु0(बी0एल0)-305/2009 श्र0नि0.....537.....राँची, दिनांक-21.12.09

प्रतिलिपि :- सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला सामाजिक सुरक्षा
कोषांग, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक,
सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची।